बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः– 3/अ0प्र0–1–29/18 2378 /पटना, दिनांक :– 6-11-23

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 अंतर्गत PMGSY के तहत पैकेज सं0 –BR- 23R-XI, BR-23R-XII, BR-23R-XIV, BR-23R-XV, BR-23R-XVII एवं BR-23R-XVIII के निविदा में संवेदक M/s JSR Construction Pvt. Ltd. द्वारा कार्य पूरा नहीं करने के बावजूद उन्हें राशि का भुगतान करने के संबंध में प्राप्त परिवाद की जाँच तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा से कराई गई। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा द्वारा समीक्षोपरान्त उपलब्ध कराये गए मंतव्य के आलोक में श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 से उनके द्वारा किन परिस्थितियों में संवेदक को भुगतान किया गया और इस अनियमितता के लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए के संबंध में विभागीय पत्रांक 2604 दिनांक 10.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री सिन्हा के पत्रांक 991 दिनांक 13.09.2022 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त कार्य पूरा नहीं करने के बावजूद संवेदक को रू0 25,60,60,807/– भुगतान करने के मामले में संवेदक से राशि की वसूली हेतु श्री सिन्हा द्वारा किये गए कार्रवाई को पर्याप्त नहीं माना गया। अतएव संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय, के संबंध में विभागीय पत्रांक 1954 दिनांक 15.09.2023 द्वारा श्री सिन्हा से पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री सिन्हा द्वारा पत्रांक 47 दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि वे कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 में दिनांक 26.07.2015 से 30.06. 2016 तक मात्र 11 माह अतिरिक्त प्रभार के रूप में रहे हैं। M/s JSR Construction Pvt. Ltd. को भुगतान में उनकी कोई संबंद्धता नहीं है। उनके द्वारा M/s JSR Construction Pvt. Ltd. से संबंधित एकरारनामा को विखंडित करते हुए पी0एम0जी0एस0वाई की कंडिका–53.1 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कुल वसूलनीय राशि में से संवेदक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि को जब्त करने के उपरान्त शेष वसूलनीय राशि को जमा कराने हेतु प्रेस विज्ञप्ति निर्गत किया गया।

श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 में अल्प पदस्थापन अवधि में Bihar Public Works Contracts Dispute Arbitration Tribunal Act 2008 के PMGSY से संबंधित Guideline एवं SBD की सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में समुचित कार्रवाई की गई है। यह भी स्पष्ट हुआ कि संवेदक को भुगतान करने का मामला उनके पूववर्ती कार्यपालक अभियंता से संबंधित है। अतएव श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 सम्प्रति अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

31/10/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@n

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–29/18 2378 /पटना, दिनांकः– 6.11.23

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 सम्प्रति अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–29/18 2378 /पटना/दिनांकः– 6.11.23

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/10/2023

विशेष सचिव